न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्री ने रोम में आयोजित FAO वैश्विक सम्मेलन में डेयरी एवं पशुधन क्षेत्रक में भारत की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया

इस सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भारत द्वारा शुरू की गयी किसान-केंद्रित पहलों, नवाचारों और उठाए गए रूपांतरणकारी कदमों पर प्रकाश डाला, जो डेयरी और पशुधन क्षेत्रक में समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत में पशुधन एवं डेयरी क्षेत्रक की स्थिति पर एक नजर

- पशुधन क्षेत्रक **कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 31%** और **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5%** का योगदान देता है।
  - **भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है।**
- वैश्विक स्तर पर **भारत दूध उत्पादन में प्रथम, अंडा उत्पादन में द्वितीय** तथा **मांस उत्पादन में पांचवें स्थान** पर है।
- **पशुधन क्षेत्रक भारत के लगभग दो-तिहाई ग्रामीण परिवारों** को आजीविका प्रदान करता है।

पशुधन क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- **पशु-आहार और चारे से संबंधित समस्याएं:** भारत में केवल **5% कृषि योग्य भूमि पर पशु-चारा** उगाया जाता है, जबकि **विश्व के 15% पशुधन भारत में** हैं।
- **पशुधन बीमा:** देश में केवल 1% पशुधन का बीमा किया गया है।
- **रोगों के कारण आर्थिक नुकसान:** इसमें पशुओं को होने वाले रक्तस्रावी सैप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग (Foot and Mouth Disease), ब्रुसेलोसिस आदि से आर्थिक नुकसान होता है।
- **एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध:** पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग करने के मामले में भारत **चौथे स्थान** पर है।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें निधियों का कम उपयोग, कम उत्पादकता, आदि शामिल हैं।

पशुधन क्षेत्रक के लिए आगे की राह

- **पशुधन को विशेष क्षेत्रक घोषित करना:** इससे इस क्षेत्रक को उचित महत्त्व मिलेगा और पर्याप्त संसाधन मिल सकते हैं।
- **पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना:** इसके तहत फसल की खेती, पशुपालन और कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों को एकीकृत करना चाहिए।
- **नस्ल सुधार कार्यक्रम:** इसमें देश के सभी राज्यों से राज्य की प्रमुख स्थानीय देशी पशु-नस्लों को शामिल करना चाहिए, ताकि देशी नस्लों की बजाय उच्च-उत्पादकता वाली नस्लों के उपयोग को रोका जा सके।
- **अन्य सिफारिशें:** राष्ट्रीय चारा मिशन शुरू करना चाहिए, पशुधन बीमा कवरेज का विस्तार करना चाहिए, आदि।

पशुधन क्षेत्रक के लिए भारत में शुरू की गयी पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसका उद्देश्य चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से देशी मवेशी नस्लों का संरक्षण और सुधार करना है।
- **पशुधन टीकाकरण कार्यक्रम:** इसके तहत प्रतिवर्ष टीकों की 1.2 बिलियन से अधिक खुराक दी जाती है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि:** इसके तहत 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि द्वारा डेयरी, ब्रीडिंग, पशु आहार संयंत्रों और मांस प्रसंस्करण में निवेश का समर्थन किया जाता है।
- **मैत्री और ए-हेल्प (MAITRIs and A-HELP):** **मैत्री** स्थानीय लोगों को पशुधन ब्रीडिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करती है। **ए-हेल्प** ग्रामीण महिलाओं को पशु स्वास्थ्य-देखभाल सेवा प्रदान करने में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 'पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS)' तंत्र के तहत लाल चंदन के संरक्षण के लिए धनराशि को स्वीकृत दी

इस धनराशि का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में किसानों को वितरित करने हेतु एक लाख **लाल चन्दन (Red Sanders)** के पौधे उगाना है। इस धनराशि का स्रोत **'पहुंच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing)'** तंत्र है।

भारत में ABS तंत्र के बारे में

- **शुरुआत:** ABS की अवधारणा का स्रोत **जैव विविधता अभिसमय (CBD), 1992,** और इसके **'पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल, 2010'** है।
- **परिभाषा:** यह जैव-संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करता है। साथ ही, यह इन संसाधनों के **उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं (जैसे स्थानीय समुदायों)** के साथ लाभों का उचित एवं न्यायसंगत रूप से साझा करना सुनिश्चित करता है।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारत ने CBD के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप **जैव-विविधता अधिनियम, 2002** बनाया है। इस कानून का उद्देश्य **जैव विविधता के संरक्षण और इसके संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना** है।
- **कार्यान्वयन:**
  - भारत **ABS को तीन-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू करता है:**
    - केंद्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (मुख्यालय, चेन्नई),**
    - राज्य स्तर पर **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs),** और
    - स्थानीय स्तर पर **जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs)।**
  - उपर्युक्त **वैधानिक संस्थाएं** जैव विविधता अधिनियम के तहत **'पहुंच, लाभ साझाकरण और वितरण'** का प्रबंधन करती हैं।
- **उदाहरण:**
  - **कानी जनजाति (केरल):** इस जनजाति ने एक औषधीय पौधे **आरोग्यपाचा (Arogyapacha)** के बारे में पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर **'जीवनी' दवा** विकसित की।
    - लाभ-साझाकरण समझौते के तहत **कानी जनजाति को रॉयल्टी मिलती है।**

लाल चंदन (रेड सैंडर्स) के बारे में

- **प्राप्ति क्षेत्र:** यह **आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी घाट की स्थानिक प्रजाति** है।
  - ये **150-900 मीटर** की ऊंचाई के बीच **शुष्क पर्णपाती** वनों में उगते हैं।
- **उपयोग:** इसका उपयोग बढ़िया फर्नीचर और संगीत वाद्ययंत्र बनाने तथा आयुर्वेद में किया जाता है। इससे **प्राकृतिक लाल रंजक (रेड डाई)** भी हासिल किया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची:** एनडेंजर्ड।
  - **CITES:** परिशिष्ट II में सूचीबद्ध।
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची IV** के तहत संरक्षित।
- **खतरे:** अवैध कटाई और तस्करी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 'भारत की जेल सांख्यिकी (PSI) 2023' रिपोर्ट जारी की

NCRB की **भारत की जेल सांख्यिकी (PSI) 2023** रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि भारत में **कैदी सुधारगृह सुविधाएं लगातार संकट की स्थिति में** हैं। रिपोर्ट में इन **सुधार-गृहों के शासन में सुधारों की आवश्यकता** जताई गई है।

भारत की जेल-प्रणाली से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

- **लगातार 'क्षमता से अधिक कैदी':** राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की निर्धारित क्षमता के मुकाबले कैदियों की मौजूदगी यानी **ऑक्यूपेंसी रेट 120.8%** है। इसका मतलब है कि देश भर की जेलों में क्षमता से औसतन **20.8% फीसदी अधिक कैदी** रह रहे हैं।
- **विचाराधीन कैदी से जुड़ा संकट:** कुल कैदियों में से **73.5% विचाराधीन कैदी** हैं, जो न्याय मिलने में देरी को दर्शाता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य और मौतें:** हिरासत में **अप्राकृतिक मौतों की बढ़ती घटनाएँ कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य-देखभाल की उपेक्षा** को दर्शाती हैं। इन मौतों में अधिकतर मामलें आत्महत्या से संबंधित हैं।
- **महिला कैदियों के लिए अलग सुविधाओं की कमी:** कुल कैदियों में **4.1%** महिलाएं हैं। जेलों में उनके लिए अलग से **सुविधाओं, स्वच्छता और पर्याप्त चिकित्सीय देखभाल की कमी** है।

जेल सुधारों के लिए शुरू की गई पहलें

- **मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023:** यह कानून दंडात्मक औपनिवेशिक व्यवस्था की बजाय **सुधार, पुनर्वास और अधिकार-आधारित जेल-प्रणाली** की ओर बड़े बदलाव का सूचक है।
- **विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियां:** ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित **जिला-स्तरीय संस्था** हैं। ये विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा करती हैं और **रिहाई या जमानत** जैसी कार्रवाई की सिफारिश करती हैं।
- **ई-प्रिज़न्स प्रोजेक्ट:** यह कैदियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक **केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** है। यह **पारदर्शिता, निगरानी और दक्षता** में सुधार करता है।
- **फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (FASTER) प्रणाली:** यह प्रणाली जमानत जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सुनिश्चित करती है।

आगे की राह (न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति की सिफारिशें)

- **शीघ्र सुनवाई (Speedy Trials):** छोटे अपराधों और 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों में निर्णय के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग:** बुजुर्ग और बीमार कैदियों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने की सुविधा दी जानी चाहिए।
- **महिला व ट्रांसजेंडर कैदियों को ध्यान में रखकर जेल में सुधार:** महिलाओं के लिए अलग जेलों और मेडिकल वार्ड्स की व्यवस्था की जानी चाहिए; ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
- **कैदियों को अलग-अलग रखना:** जेलों में विचाराधीन कैदियों, दोषी कैदियों और पहली बार अपराध करने वालों को अलग-अलग रखना चाहिए ताकि जेल में हिंसा को कम किया जा सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल-गाजा संघर्ष की समाप्ति के लिए शांति योजना का प्रस्ताव दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल-गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने के लिए **20-सूत्रीय शांति योजना** का प्रस्ताव दिया है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

वर्तमान इजरायल-गाज़ा संघर्ष

- दो वर्षों से अधिक समय से जारी वर्तमान संघर्ष **हमास** द्वारा इजराइल के खिलाफ **'ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म'** की शुरुआत से हुई। हालांकि इस संघर्ष का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है।

संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ

- **बाल्फोर घोषणा-पत्र (1917):** ब्रिटेन द्वारा जारी इस घोषणा-पत्र में फिलिस्तीन में **'यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम'** की स्थापना का समर्थन किया गया।
  - इससे तनाव बढ़ गया, क्योंकि इस क्षेत्र में यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरब समुदाय बहुसंख्यक थे।
- **इजरायल का निर्माण:**
  - 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को **अरब और यहूदियों** के बीच **विभाजित** करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद, यहूदियों ने **1948 में इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा** कर दी।
    - **अरब समुदाय ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया,** जिसके परिणामस्वरूप कई युद्ध हुए।
- **1967 का मध्य पूर्व युद्ध: पश्चिमी तट, गाज़ा और पूर्वी यरुशलम** के लगभग दस लाख फिलिस्तीनी **इजरायल के नियंत्रण** में आ गए।
- **1973 का योम किप्पुर/रमजान युद्ध:** इस युद्ध के परिणामस्वरूप **1978 में कैंप डेविड समझौता** हुआ, जो किसी अरब देश द्वारा **इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता** देने का पहला उदाहरण था।
  - इजरायल ने 1979 में **सिनाई प्रायद्वीप** को मिस्र को वापस कर दिया। हालांकि **पश्चिमी तट** पर उसका अभी भी समग्र नियंत्रण है।

गाज़ा के लिए अमेरिकी शांति योजना के मुख्य बिंदु

- **चरमपंथ से मुक्ति:** गाज़ा को आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाना।
- **सभी सैन्य कार्रवाइयों का निलंबन।**
- **अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच संवाद: सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** पर आधारित संवाद स्थापित करना।
- **संप्रभुता:** गाजा पर इजरायल का कोई कब्जा नहीं होगा या उसका इजरायल में विलय नहीं होगा।
- **आर्थिक विकास: विशेष आर्थिक क्षेत्र** का निर्माण और **गाज़ा के पुनर्निर्माण** के लिए योजनाएं।
- **बेघर न करना:** गाज़ा के निवासियों को जबरन बेदखल नहीं किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने के 10 वर्ष पूरे हुए

संयुक्त राष्ट्र ने **सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को अपनाया था। इनका उद्देश्य **2030 तक** गरीबी समाप्त करने; शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल सुविधाओं, आदि को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक प्रयास करना है। इन लक्ष्यों को **वैश्विक लक्ष्य (Global Goals)** भी कहा जाता है।

SDGs के बारे में

- **सतत विकास की अवधारणा** को 1987 की **ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट** में परिभाषित किया गया था। इसके मुताबिक **सतत विकास** "ऐसा विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करें कि भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहें।"
- ये **17 लक्ष्य (गोल्स)** और **169 उप-लक्ष्यों (टार्गेट्स)** का एक समूह हैं जो **सामाजिक, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता** के बीच संतुलन की आवश्यकता का समर्थन करते हैं।

भारत ने SDGs को अपनी विकास योजना में कैसे एकीकृत किया?

- **SDG इंडिया इंडेक्स शुरू करना:** यह इंडेक्स सार्वजनिक डेटा का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है। इसका उद्देश्य **प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सुधार** को प्रोत्साहित करना है।
- **SDGs का स्थानीयकरण:** यह **पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह इंडेक्स भारत भर में **2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए एक परिवर्तनकारी माध्यम** है।
- **SDGs को संस्थागत स्वरूप देना:** उदाहरण के लिए, कई राज्यों ने **अरबों डॉलर की बजट राशि** को SDG उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जोड़ा है।
- **विशिष्ट कार्यक्रम चलाना:** जैसे-**आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)** पिछड़े क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है और यह **संपूर्ण समाज को शामिल करने के दृष्टिकोण** को अपनाता है।
- **सिविल सोसाइटी, शिक्षा-जगत और निजी क्षेत्र को शामिल करना:** यह कार्य **स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा** के तीन दौरों के माध्यम से संपन्न किया जाता है।

भारत की कुछ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में प्रगति

- **SDG 1 (निर्धनता उन्मूलन):** 13.5 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।
- **SDG 2 (जीरो हंगर):** अल्प-पोषण की दर कम होकर 13.7% हो गई है।
- **SDG 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सेहतमंदी):** मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर) 2014-16 के 130 से घटकर 80.5 हो गया है।
- **SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा):** प्राथमिक स्तर पर निवल नामांकन दर अब 99.9% है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 'भारत में अपराध 2023' रिपोर्ट जारी की

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर (2022 की तुलना में)

- **कुल अपराध: 2023 में 6.24 मिलियन अपराध के मामले** दर्ज किए गए जो **2022 की तुलना में 7.2% अधिक** है। अपराध दर बढ़कर **प्रति एक लाख जनसंख्या पर 448.3** हो गई। 2022 में अपराध दर **422.2** थी।
  - इसका मतलब है कि भारत में **2023 में हर पांच सेकेंड में एक अपराध दर्ज** किया गया।
- **अपराधों के पैटर्न में बदलाव:** बलात्कार और दहेज हत्या जैसे **पारंपरिक हिंसक अपराधों में कमी** देखी जा रही है, जबकि **साइबर एवं शहरी अपराध** बढ़ रहे हैं।
  - **साइबर अपराध:** 2023 में भारत में साइबर अपराधों में **31.2% की वृद्धि दर्ज की गई,** जिनमें से **अधिकतर मामले धोखाधड़ी** से संबंधित थे। यह पर्याप्त साइबर सुरक्षा के बिना तेजी से डिजिटलकरण की चुनौतियों को उजागर करता है।
  - **महानगरीय शहर:** महानगरीय शहरों में दर्ज अपराधों में तीव्र वृद्धि (10.6%) देखी गई। यह ट्रेंड शहरों पर बढ़ते दबाव और अपराध की रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार को दर्शाता है। **दिल्ली में सबसे अधिक आपराधिक** मामले दर्ज किये गए।
- **कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध:**
  - **महिलाएं:** महिलाओं के विरुद्ध अपराध में **0.7% की मामूली वृद्धि** दर्ज की गई। **घरेलू क्रूरता** महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराध (29.8%) बना हुआ है। यह डेटा अभी भी समाज में मौजूद **पितृसत्तात्मकता से जुड़ी चुनौतियों को उजागर करता है।**
  - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए खिलाफ:** अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, मणिपुर जैसे राज्यों में **नृजातीय संघर्षों** के कारण **अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 28.8% की वृद्धि दर्ज की गई।**
  - **बच्चों के खिलाफ अपराध:** बच्चों के खिलाफ अपराध में **9.2% की वृद्धि** दर्ज की गई। इनमें से अधिक मामले **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज किए गए थे।** यह वृद्धि **बच्चों की असुरक्षा** और POCSO के तहत बेहतर **रिपोर्टिंग,** दोनों को दर्शाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)** और **गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स (1985)** की सिफारिशों के आधार पर हुई थी।
- **मंत्रालय:** यह संस्था **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
- **महत्वपूर्ण कार्य:**
  - **अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना** के भंडार के रूप में कार्य करना, ताकि आपराधिक मामलों के समाधान में जांच एजेंसियों को सहायता मिल सके।
  - **यह क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS)** का समन्वय करता है।
  - यह राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। इनमें **भारत में अपराध (क्राइम इन इंडिया), आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या, तथा जेल सांख्यिकी** शामिल हैं।

अन्य सुर्खियां

पोस्टल बैलेट

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की अधिसूचना के अनुसार, EVM मतों की गणना का अंतिम दौर पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की पूरी गणना के बाद ही शुरू किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट के बारे में

- पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत मतदाता अपने मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। इससे उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **कानूनी व्यवस्था:** यह प्रणाली **चुनाव संचालन नियम, 1961** और **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** द्वारा शासित होती है।
- **पात्रता:** पोस्टल बैलेट का उपयोग वे लोग कर सकते हैं जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
  - **सेवा मतदाता (सर्विस वोटर्स):** इनमें भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य; विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी, आदि शामिल होते हैं।
  - **विशेष मतदाता:** इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति, और उनके पति/पत्नी शामिल होते हैं।

सहयोग पोर्टल

X प्लेटफार्म (पूर्व में ट्विटर) **'सहयोग पोर्टल'** को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

सहयोग पोर्टल के बारे में

- **उद्देश्य:** यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **गैरकानूनी कंटेंट** को हटाने या उस कंटेंट तक पहुँच को समाप्त करने के लिए **ऑनलाइन मध्यवर्तियों (प्लेटफ़ॉर्म/ ISP)** को कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया को **स्वचालित** करता है।
- **नोडल एजेंसी:** केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)।
- **कानूनी दर्जा:** यह पोर्टल **साइबर-आधारित गैरकानूनी गतिविधियों** के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b)** के तहत संचालित होता है।
- **महत्व:** यह अलग-अलग **अधिकृत सरकारी एजेंसियों** के लिए **डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ रियल टाइम** में सहयोग हेतु एक **केंद्रीकृत प्लेटफार्म** है। इससे **डिजिटल सुरक्षा और गवर्नेंस** में सुधार होता है।

भारत-भूटान

भारत ने भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने लिए **दो क्रॉस-बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा** की है।

- इनमें **69 किलोमीटर** लंबी **कोकराझार (असम)-गेलेफू (भूटान) रेलवे लाइन** और **20 किलोमीटर** लंबी **बनारहाट (पश्चिम बंगाल)-सम्तसे (भूटान)** रेलवे लाइन शामिल हैं।

रणनीतिक महत्व

- भूटान की **गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC)** से बेहतर कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए संधारणीय आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करेगी।
  - गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी **विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR)** है। यह अधिक स्वायत्तता के साथ **"एक देश, दो प्रणाली"** की अवधारणा के तहत संचालित होती है।
- **सम्तसे भूटान का एक प्रमुख औद्योगिक शहर** है। रेल कनेक्टिविटी से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, भूटान से **डोलोमाइट, क्वार्टजाइट** आदि के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
  - भारत, भूटान का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** देश है। भूटान के **कुल व्यापार का लगभग 80% भारत के साथ** होता है।

अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम

भारतीय थल सेना ने 'अनंत शस्त्र' एयर डिफेंस सिस्टम के विकास और आपूर्ति के लिए **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट** दिया है।

अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में

- **अनंत शस्त्र** स्वदेशी **क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM)** प्रणाली है।
- **विकासकर्ता:** यह प्रणाली DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) द्वारा **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** और **भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL)** के सहयोग से विकसित की जाएगी।
- **क्षमताएं:** इसे जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसकी **रेंज लगभग 30 किलोमीटर** है।
- **इंटीग्रेशन:** यह MR-SAM, आकाश, स्पायडर, और **सुदर्शन S-400** जैसी प्रणालियों के साथ समन्वय में कार्य कर सकता है।
- **तैनाती:** स्वीकृति मिलने के बाद इसे अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम को **पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं** पर तैनात किया जाएगा।

नॉर्दन व्हाइट राइनो

मुंबई स्थित डॉक्यूमेंट्री-सीरीज़, **'द रिसरेक्शन क्रेस्ट'** ने 16वें **कान्स कॉर्पोरेट मीडिया एंड टीवी अवार्ड्स** में प्रतिष्ठित **गोल्ड डॉल्फिन** पुरस्कार जीता।

- नॉर्दन व्हाइट राइनो पर चार-भागों वाली इस सीरीज़ में से एक **नॉर्दन व्हाइट राइनो IVF** भी थी।

नॉर्दन व्हाइट राइनो के बारे में

- यह **सफेद गैंडे** की एक उप-प्रजाति है, जो कभी पूरे **मध्य अफ्रीका** में व्यापक रूप से देखी जाती थी।
  - यह अपने **विशाल आकार, चौड़े मुँह और दो सींगों** के लिए जाना जाता है।
- **IUCN स्थिति:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
  - अभी विश्व में **नॉर्दन व्हाइट राइनो की केवल दो मादाएं (नजीन और फातू)** बची हैं। इन्हें फ़िलहाल केन्या की **ओल पेजेटा कंजर्वेंसी** में रखा गया है।
- **अंतिम नर नॉर्दन व्हाइट राइनो: सूडान नामक यह नर राइनो 2018** में मर गया, जिससे प्राकृतिक प्रजनन की संभावना समाप्त हो गई।
- **संरक्षण प्रयास:** नॉर्दन व्हाइट राइनो को विलुप्त होने से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है।
  - जैसे-**IVF के द्वारा संरक्षित (फ्रीज किए हुए) शुक्राणु और सदर्न व्हाइट राइनो मादाओं** को सरोगेट के रूप में प्रयोग।

वासेनार अरेंजमेंट

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वासेनार अरेंजमेंट **क्लाउड सेवाओं और सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (SaaS)** जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है।

वासेनार अरेंजमेंट के बारे में

- **स्थापना:** यह 1996 में वासेनार (नीदरलैंड) में स्थापित किया गया था। यह एक **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और **ड्यूल-यूज वाली वस्तुओं** और तकनीकों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य:** इसमें 42 सदस्य देश शामिल हैं।
- **नियंत्रण सूचियाँ: इसमें दो प्रकार की सूची हैं:**
  - **युद्धक सामग्री सूची:** इसमें पारंपरिक हथियार शामिल होते हैं।
  - **ड्यूल-यूज वाली वस्तुओं और तकनीकों की सूची:** इसमें वे संवेदनशील तकनीकें शामिल होती हैं, जिनका असैन्य और सैन्य, दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।
- **भारत, वर्ष 2017 में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ।**

स्वर्ण अपशिष्ट (Gold Tailings)

भारत **स्वर्ण अपशिष्ट** से सोना निकालकर घरेलू स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के नए तरीकों की खोज कर रहा है।

स्वर्ण अपशिष्ट (Gold Tailings) के बारे में

- **परिभाषा:** स्वर्ण अपशिष्ट वह बारीक और गाढ़ी अपशिष्ट सामग्री होती है जो सोने को निकालने के बाद बचती है। इसमें वे धातुएं होती हैं जो पूरी तरह से नहीं निकल पाई होती हैं, और इनमें हानिकारक रासायनिक तत्व भी होते हैं जो प्रसंस्करण में इस्तेमाल होते हैं।
- **खतरे:** इसके मुख्य खतरों में **एसिड माइन ड्रेनेज (AMD)**, भारी धातु (जैसे **आर्सेनिक, सीसा**) का रिसाव, और **टेलिंग्स स्टोरेज फैसिलिटी (TSF) की** विफलताएँ शामिल हैं।

स्वर्ण के मामले में भारत की स्थिति

- **उत्पादन:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का घरेलू स्वर्ण उत्पादन **1.62 टन** था।
- **भंडार:** 2025 में RBI के पास आधिकारिक स्वर्ण भंडार बढ़कर लगभग **880 टन** हो गया (विश्व में 7वाँ स्थान)।
- **उपभोग:** भारत **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपयोगकर्ता** देश है। पहले स्थान पर **चीन** है।

बथुकम्मा उत्सव

हाल ही में, तेलंगाना में आयोजित बथुकम्मा उत्सव ने **दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किए।**

बथुकम्मा उत्सव के बारे में

- यह **फूलों का त्योहार** है जिसे **तेलंगाना** और **आंध्र प्रदेश** के कुछ हिस्सों में **महिलाओं** द्वारा मनाया जाना जाता है।
- यह हर साल **दुर्गा नवरात्रि** के दौरान **नौ दिनों** तक मनाया जाता है।
- इस उत्सव के दौरान **बथुकम्मा** तैयार किया जाता है। यह **औषधीय महत्व** वाले मौसमी फूलों का उपयोग करके **फूलों को सजाने की पारंपरिक कला** है।
- **'बथुकम्मा'** का अर्थ है **"माँ देवी जीवित हो जाएं"**, और यह **देवी पार्वती** को समर्पित है।
- इसे **तेलंगाना का राज्य उत्सव** (स्टेट फेस्टिवल) घोषित किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

वियतनाम (राजधानी: हनोई)

- **टाइफून बुलोई** ने वियतनाम में व्यापक तबाही मचाई है।

भौगोलिक अवस्थिति/राजव्यवस्था

- वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में **इंडोचीन प्रायद्वीप** पर अवस्थित है।
- **सीमाएं:** इसके उत्तर में **चीन** तथा पश्चिम में **लाओस व कंबोडिया** हैं।
- **समुद्री सीमाएं:** पूर्व और दक्षिण में **दक्षिण चीन सागर; थाईलैंड की खाड़ी, टोंकिन की खाड़ी।**
- **सरकार का प्रकार:** समाजवादी गणराज्य; एक-दलीय प्रणाली जिसमें **कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (CPV)** का नियंत्रण है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय मानसून।
- **प्रमुख नदियाँ:** उत्तर में **मेकांग नदी** और दक्षिण में **रेड रिवर**। दोनों नदियां **दक्षिण चीन सागर** में मिलते समय **डेल्टा** का निर्माण करती हैं।
- **अन्नाम कॉर्डिलेरा के पहाड़** वियतनाम के पश्चिमी हिस्से के अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं।